कार्यालय जिलाधिकारी, बहराइच।

(खनिज अनुभाग)

दिनांकः 19/11/2024

पत्रांकः 2042 /खनिज/ई–निविदा/2024

ई–निविदा आमंत्रण हेतु ई–निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद बहराइच में नदी तल में स्थित निजी भूमि में उपलब्ध निम्न विवरण के अनुसार साधारण बालू–। के खनन क्षेत्रो को शासनादेश संख्या 2026/86–2019–57(सा0)/2017 दिनांक 30.08.2019 में दिये गये निर्देशानुसार 06 माह की अवधि के लिये ई–निविदा के माध्यम से खनन परिहार पर स्वीकृत किये जाने के हेतु उपलब्ध घोषित किया जाता है तथा अल्प कालीन अवधि **दिनांक 21.12.2024 से दिनांक 30.12.2024** को समय सायं 05:00 बजे (07 कार्य दिवस) तक क्षेत्रो के लिये ई–निविदा पोर्टल https://etender.up.nic.in पर ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।

1. **क्षेत्रों का विवरण**

क्र0 सं0	भूस्वामी/भूस्वामियो का नाम	तहसील/ग्राम	गाटा संख्या / खण्ड संख्या	क्षेत्रफल हे0 में	सीमायें जियोकार्डिनेट अक्षांश	सीमायें जियोकार्डिनेट देशांतर	उप खनिज का नाम	आधार मूल्य (रायल्टी दर × आंकलित मात्रा	अर्नेस्ट मनी की धनराशि (आधार मूल्य का 25 प्रतिशत)	खनन योग्य आंकलित उप खनिज की मात्रा (धनमीटर में)
1	श्री राम रूप पुत्र दयाराम निवासी तप्पेसिपाह तहसील कैसरगंज जनपद बहराइच	तहसील कैसरगंज ग्राम रेतीहाता	614	1. 950हे0	(A) 27°9'58.31"N (B)27°9'56.04"N (C)27°9'58.50"N (D)27°10'0.82"N	81°29'59.70"E 81°29'56.55"E 81°29'49.70"E 81°29'52.99"E	साधारण बालू–l	2281500.00	570375.00	35,100
2	श्री कालिका प्रसाद पुत्र श्री चतुरी निवासी वितनिया तहसील नानपारा जनपद बहराइच।	तहसील नानपारा ग्राम वितनिया	1031 एवं 1045	1.408हे0	(A) 27°52'7.22"N (B)27°52'4.85"N (C)27°52'7.53"N (D)27°52'8.61"N (E)27°52'9.29"N (F)27°52'11.47"N (G)27°52'10.98"N (H)27°52'9.88"N	81°24'15.48"E 81°24'13.36" E 81°24'10.11"E 81°24'10.94"E 81°24'10.07"E 81°24'11.91"E 81°24'12.93"E 81°24'12.05"E	साधारण बालू–l	1647360.00	411840.00	25,344
3	श्री राम वकील पुत्र श्री कल्लूराम नि0 गिरगिट्टी तहसील मिहींपुरवा (मोतीपुर)	तहसील मिहींपुरवा (मोतीपुर) ग्राम गिरगिट्टी	580	1.13हे0	(A) 27°59'21.21"N (B)27°59'21.84"N (C)27°59'22.27"N (D)27°59'22.94"N (E)27°59'23.69N (F)27°59'24.77"N (G)27°59'25.63"N (H)27°59'24.93"N	81°13'55.32"E 81°13'54.45"E 81°13'54.39"E 81°13'53.86"E 81°13'53.17"E 81°13'50.80"E 81°13'51.49"E 81°13'57.47"E	साधारण बालू–l	1322100.00	330525.00	20,340

4	श्री बराती पुत्र श्री साहबदीन नि0 गिरगिट्टी तहसील मिहींपुरवा (मोतीपुर)	तहसील मिहींपुरवा (मोतीपुर) ग्राम गिरगिट्टी	692मि	1.2100हे0	(A) 27°59'23.95"N	81°14'7.28"E	साधारण बालू–I	1415700.00	353925.00	21,780
					(B)27°59'23.12"N	81°14'11.00"E				
					(C)27°59'19.90"N	81°14'8.94"E				
					(D)27°59'21.21"N	81°14'4.68"E				

1.	ई–निविदा प्राप्त करने की तिथि	दिनांक 21.12.2024 की सुबह 10:00 बजे से दिनांक 30.12.2024 की सायं 05:00 बजे तक।
2.	मूल अभिलेख को जमा करने का स्थान व तिथि समय	स्थान–कार्यालय जिलाधिकारी (खनन अनुभाग), बहराइच । दिनांक– दिनांक 21.12.2024 की सुबह 10:00 बजे से दिनांक 31.12.2024 की सुबह 11:00 बजे तक।
3.	ई–निविदा खोलने का दिनांक व स्थान	स्थान–कार्यालय जिलाधिकारी (खनन अनुभाग), बहराइच। दिनांक–31.12.2024 को समय अपरान्ह 12:00 बजे।

(2) परिहार की अवधि में मानसून सत्र (जुलाई,अगस्त,सितम्बर)की अवधि सम्मिलित नही मानी जायेगी।

(3) कोई व्यक्ति/फर्म/निकाय जो भारतीय नागरिक हो ,जिलाधिकारी को सम्बोधित ई–निविदा संलग्न प्रारूप–2 पर प्रस्तुत कर सकता है,जिसमें निम्नलिखित बाते होगीः–

क. विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया हो।

ख. विज्ञापित क्षेत्र का क्रमांक।

ग. निविदा का नाम,पिता का नाम,पता(स्थायी और वर्तमान)ई–मेल एंव मोबाइल नं0। (पता के प्रमाण स्वरूप व्यक्ति के लिए आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र तथा फर्म/कम्पनी/निकाय के लिये उनका जी0एस0टी0/आयकर रिर्टन/प्रो0 का अधिकार पत्र के पंजीकरण का विवरण)

घ. क्या आवेदक भूस्वामी है।(हॉं/नही)

ड़ उस क्षेत्र और खनिज का विवरण जिसके लिये उसने निविदा प्रस्तुत की है। जिसमें निम्न हो–
भूस्वामी का नाम–
उप खनिज का नाम–
तहसील का नाम–
खनन क्षेत्र का नाम/ग्राम–
गाटा संख्या/खण्ड संख्या/जोन संख्या–
क्षेत्रफल (हे0में0)
विज्ञप्ति में दी गयी खनन योग्य अनुमति खनिज की मात्रा–

च. ई–निविदा में दी गयी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अप्रतिदेय आवेदन शुल्क रू0 15,000/– के जमा का चालान।

छ. प्री बिड अर्नेस्ट मनी का ड्राफ्ट (जिसकी गणना क्षेत्र का आकलित खनन योग्य मात्रा एंव उप खनिज की रायल्टी दर से गुणा कर प्राप्त धनराशि का 25 प्रतिशत होगा)

ज. खनिज के प्रति घन मी0 के लिये दी जाने वाली ई–निविदिा की दर–
(ई–निविदा की दर उपखनिज के लिए नियमावली 2021 के प्रथम अनूसूची में विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर से कम नही होगी)

झ. जिलाधिकारी व ऐसे अधिकारी द्वारा जो जिलाधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया गया जाय, द्वारा जारी खनन अदेयता का प्रमाण पत्र परन्तु जहॉं आवेदक प्रदेश में पट्टाधारक/परिहारधारक न रहा हो,वहॉं इस आश्य का शपथ पत्र।

ट. भूस्वामी को छोड़कर अन्य व्यक्ति/फर्म को उस जिले के जिलाधिकारी,जहॉं स्थायी रूप से निवास करता हो,से जारी चरित्र प्रमाण पत्र।

ठ. भूस्वामी को छोड़कर अन्य व्यक्ति/फर्म को ऋण शोधन क्षमता प्रमाण पत्र या ऋण शोधन क्षमता प्रमाण पत्र के साथ बैंक प्रत्याभूति, जो ई–निविदा की धनराशि के 25 प्रतिशत से कम न हो।

4. बिन्दु संख्या–3 में उल्लिखत वांछित अभिलेखो तथा ड्राफ्ट की स्कैन प्रति ई–टेण्डर के साथ अपलोड किया जाय।

5. यदि निविदाकार द्वारा बिन्दु संख्या–3 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई–निविदा के साथ अपलोड़ नही की जाती है तो उसकी ई–निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड़ किये जाने वाले

अभिलेखो की मूल प्रति/प्रमाणित प्रति तथा ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा खोले जाने से पूर्व निर्धारित अवधि के अन्तर्गत जमा करना होगा।

6. ई–निविदा आमंत्रण की तिथि के अन्दर ई–टेण्डर पोर्टल https://etender.up.nic.in पर निविदाकार के द्वारा अपनी ई–निविदा अपलोड़ की जायेगी।

7. यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लि0 लखनऊ को प्रदेश में भूतत्व एंव खनिकर्म विभाग में ई–टेण्डरिंग लागू किये जाने हेतु नोडल संस्था नामित किया गया है। निविदाकार को ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही करनी होगी।

(क) ई टेन्डरिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स द्वारा किसी भी सर्टिफाइंग एंजन्सी से डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना होगा।

(ख) ई–टेन्डरिंग पोर्टल पर विडर्स /कान्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स द्वारा अपनी कम्पनी/फर्म का रजिस्ट्रेशन यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से कराया जायेगा।

(ग) विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स ई–टेण्डर पोर्टल पर प्रशिक्षण यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड से निःशुल्क प्राप्त कर सकते है।

8. निविदाकार द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन ई–टेण्डरिंग पोर्टल पर करा लेने तथा डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करने के उपरान्त अपनी निविदा ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करने हेतु निम्नांकित कार्यवाही की जानी होगीः–

i सर्वप्रथम निविदाकार द्वारा ई–टेन्डर पोर्टल पर लॉगिंग आई0डी0(Login ID) एंव पासवर्ड (Password) के द्वारा ई–टेण्डर पोर्टल में प्रवेश किया जायेगा।

ii तत्पश्चात् निविदाकार द्वारा डिजिटल सिग्नेचर का सत्यापन (Verification)ई–टेण्डर पोर्टल पर किया जाना होगा।

iii निविदाकार द्वारा सर्च एक्टिव टेण्डर (Search Active Tender) पर क्लिक कर अपनी रूचि की निविदा का चयन कर उक्त निविदा पर प्रतिभाग (Participate)करने हेतु क्लिक करना होगा।

iv निविदाकार द्वारा कम्प्यूटर स्क्रीन पर ही निविदा संबंधित सभी जानकारी को सीधे देखा जा सकता है अथवा उक्त निविदा को डाउनलोड कर उसके प्रिन्ट आउट द्वारा विवरण को पढ़ा जा सकता है।

v निविदाकार द्वारा निविदा का समुचित अध्ययन किये जाने के उपरान्त अपनी निविदा का ई–टेण्डर पर अपलोड करने के पूर्व प्रस्तर 3 में दिये गये विवरण के अनुसार विभिन्न अभिलेखो,दस्तावेजो की स्कैण्ड कापी कर पी0डी0एफ0 फाईल बनायी जानी होगी।

vi ई–टेण्डर डाक्यूमेंटस की आवश्यकताओं के अनुरूप सभी वांछित दस्तावेजो की पी0डी0एफ0 फाईल तैयार हो जाने के पश्चात् निविदाकार द्वारा "पे ऑफ लाइन" (Pay Offline)विकल्प पर क्लिक करने पर एग्रीमेन्ट(Agreement) आईकन के कम्प्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होने पर निविदाकार द्वारा आई एग्री–सबमाइट (I Agree Submit) पर क्लिक करना होगा।

vii तत्पश्चात् निविदाकार द्वारा प्रि बिड अर्नेस्ट मनी से संबंधित कालम में जमा धनराशि के बैंक ड्राफ्ट का नम्बर,बैंक का नाम इत्यादि विवरण भरना होगा। भुगतान के विवरण की प्रविष्टियों भरने के बाद उसको save कर लिया जायेगा।

viii निविदाकार द्वारा अपनी निविदा को अपलोड करने हेतु कम्प्यूटर पर क्लिक करना होगा जिसके कि प्रि विड अर्नेस्ट मनी को टेण्डर के साथ जमा किये जाने से संबंधित कार्य पूर्ण माने जायेगें।

ix यदि निविदाकार को ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा सबमिट की गई तकनीकी एंव वित्तीय विड में कोई त्रुटि है अथवा उनके द्वारा पूर्व में जमा की गयी निविदा/विडस में संशोधन करना वांछनीय है ,तो माई विड्स (My Bids) आईकन मे क्लिक कर पुनः पूर्व प्रक्रिया को अपनाते हुए ई–निविदा रि–विड सबमिशन (Rebid Submission) पर क्लिक कर पुनः सबमिट (Submit) कर सकते है। निविदाकार द्वारा यह कार्य टेण्डर जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि और समय से पूर्व किया जा सकता है। अन्तिम बार प्रस्तुत की गयी निविदा (Last Submit Bid) ही ई–टेण्डर पोर्टल 'पर अनुमन्य' होगी। पूर्व में प्रस्तुत की गई विड्स अनुमन्य नही होगी।

9. ई–टेण्डर साईट का उपयोग करने के लिए (Pentium-IV)अथवा उच्च विशिष्टियों युक्त कम्प्यूटर तथा ब्राड बैंण्ड इण्टरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगी। कम्प्यूटर लाइनेक्स,विण्डोज एक्सपी सर्विस पैक–3 या उच्च आपरेटिंग सिस्टम एण्टीवायरस तथा इण्टरनेट एक्सप्लोरर वर्जन 7.0 या अधिक,के साथ होना चाहिए। इसके लिए इण्टरनेट केन्द्र की सेवायें ली जा सकती है।

10. जिला स्तर पर ई–टेण्डरिंग से सम्बन्धित टेण्डर्स अपलोड किये जाने,टेण्डर्स खोले जाने इत्यादि कार्यो हेतु जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (DIO-NIC) से सहायता ली जा सकती है तथा अन्य किसी

जानकारी/स्पष्टीकरण/प्रशिक्षण हेतु यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 10,अशोक मार्ग लखनऊ से सम्पर्क भी किया जा सकता है।

11. भूस्वामी/भूस्वामियों द्वारा क्षेत्र की ई–निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने पर उच्चतम बोली को संज्ञान में लेकर 07(सात) कार्यदिवस के भीतर सम्बन्धित खनन क्षेत्र पर प्रादेशिक अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्ताव,जो उच्चतम बोली से अधिक हो प्रस्तुत करने का उसे/उन्हे अवसर प्राप्त होगा। ई–निविदा प्रक्रिया में भूस्वामी को भाग लेना आवश्यक नही है,परन्तु भूस्वामी/भू–स्वामियों के पक्ष में खनन परिहार स्वीकृत होने की दशा में ई–निविदा के सम्बन्ध में बिन्दु संख्या–03 में दी गयी समस्त शर्तो को पूर्ण करना आवश्यक होगा।

12. विज्ञप्ति के अनुसार 07 कार्य दिवस में प्राप्त निविदाओ को अगले कार्यदिवस दिनांक 31/12/2024 समय अपरान्ह 12:00 बजे जिलाधिकारी बहराइच की अध्यक्षता में गठित समिति के दो सदस्यो के डिजिटल सिग्नेचर द्वारा खोला जायेगा।

13. भूस्वामी द्वारा प्रथम इनकार के अधिकार का उपयोग नही करने पर उच्चतम बिडकर्ता के पक्ष में परिहार स्वीकृत किया जायेगा। उच्चतम बिड की धनराशि का 20 प्रतिशत(प्रत्येक घनमीटर हेतु) चयनित आवदेक द्वारा भूस्वामी/स्वामियो को प्रतिकर के रूप में दिया जायेगा। जो राज्य सरकार को देय संदेय राशि के अतिरिक्त होगी। भूस्वामी/स्वामियो को देय ऐसी धनराशि प्रत्येक समय राज्य सरकार के भुगतान के साथ भूस्वामी के बचत खाता जो कि अनुसूचित बैंक में हो,में किया जाना अनिवार्य है।

14. सफल निविदाकर्ता/भूस्वामी का चयन होने के उपरान्त समिति के संस्तुति के आधार पर उसे जिलाधिकारी द्वारा खनन परिहार हेतु सहमति पत्र (लेटर ऑफ इंन्टेन्ट) जारी किया जायेगा। उच्चतम निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता को छोड़कर अन्य द्वारा प्रस्तुत अग्रिम धनराशि के बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।

15. लेटर ऑफ इंन्टेट निर्गत होने के 03 कार्यदिवस में ई–निविदा की सफल धनराशि का 25 प्रतिशत प्रतिभूति तथा 25 प्रतिशत प्रथम किस्त के रूप में,जिसमें अर्नेस्ट मनी की धनराशि समायोजित की जायेगी। सफल निविदाकार अथवा भूस्वामी द्वारा उक्त धनराशि जमा नही करने पर अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी और इस सम्बन्ध में कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचार योग्य नही होगा। शेष 75 प्रतिशत धनराशि स्वीकृत परिहार अवधि के शेष अग्रिम माहों में समान प्रतिशत के रूप में परिहारधारक द्वारा भुगतान की जायेगी। यदि किसी अन्य प्रयोजन के लिए आवश्यक न हो तो प्रतिभूति धनराशि परिहार अवधि की समाप्ति उपरान्त एक माह के अन्दर परिहारधारक को वापस कर दी जायेगी।

16. जिलाधिकारी को कोई कारण बताये बिना समस्त निविदाओ को निरस्त करने का अधिकार आरक्षित रहेगा।

17. खनन क्षेत्र अथवा अन्य किसी जानकारी के लिए संबंधित जिलाधिकारी कार्यालय बहराइच के खनन अनुभाग से सम्पर्क किया जा सकता है।

18. सफल निविदाकार/भूस्वामी परिहार हेतु इस आशय का पत्र प्राप्त होने के उपरान्त वन,पर्यावरण,जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,भारत सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2006 के प्राविधानो के अनुसार पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। सक्षम अधिकारी के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय खनन योग्य आंकलित मात्रा हेतु माइनिंग प्लान/बनाते हुए आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

19. यदि पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में दी गयी खनिज निकासी की मात्रा क्षेत्र के लिये आंकलित खनन योग्य भण्डार से भिन्न होती है,तब पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में अंकित मात्रा ही परिहार अवधि के लिए क्षेत्र से खनिज की निकासी हेतु अधिकतम मात्रा होगी तथा उस मात्रा के आधार पर ई–निविदा में दी गयी दर को गुणा कर वास्तविक देय धनराशि की गणना की जायेगी।

20. पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त अनुबन्ध निष्पादन के पश्चात् ही खनन कार्य प्रारम्भ होगा।

21. परिहारधारक द्वारा मा0 न्यायालय एंव मा0 राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेश, अनुमोदित डी0एस0आर0 में SEIAA द्वारा अंकित शर्तों तथा उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली–2021 तथा समय–समय पर निर्गत शासनादेशो का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

22. नियमों एवं शर्तो के उल्लंघन के परिणामस्वरूप यदि कोई वाद अथवा आपराधिक प्रक्रिया योजित होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी पट्टाधारक की होगी एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई व्यय होता है तो उसका वहन पट्टाधारक द्वारा किया जायेगा।

23. ई–निविदा में भाग लने से पूर्व क्षेत्र/खण्ड के आंकलित उपखनिज (सा0 बालू) की मात्रा एवं खनन स्थल के लिए पहुंच मार्ग आदि के संबंध में मौके का स्थलीय निरीक्षण कर निविदाकर्ता आश्वस्त/संतुष्ट होने के उपरान्त ही निविदा प्रक्रिया में भाग लेना सुनिश्चित करे। ई–निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के उपरान्त इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई दावा/आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

24 निविदाकार/फर्म द्वारा दिनांक 21.12.2024 की सुबह 10:00 बजे से दिनांक 31.12.2024 की सुबह 11:00 बजे तक स्थान– कार्यालय जिलाधिकारी (खनन अनुभाग), बहराइच में रखे बॉक्स में अपनी निविदा का बन्द लिफाफा जमा करेगा।

25. स्थानीय स्थिति तथा परिवेश को ध्यान में रखते हुए अन्य शर्ते जो जिलाधिकारी द्वारा उचित समझी जाये। जिलाधिकारी द्वारा विज्ञप्ति के उपरान्त भी जोड़ा जा सकता है।

आज्ञा से,
जिलाधिकारी
बहराइच।

पत्रांकः 2042 /खनिज/ई–निविदा सह ई–नीलामी/2024 दिनांकः 19/ 11 /2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ।
3. मण्डलायुक्त, देवीपाटन मण्डल, बहराइच।
4. जिलाधिकारी बहराइच।
5. प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय अयोध्या भूतत्व एंव खनिकर्म उ0प्र0।
6. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड अशोक मार्ग लखनऊ ।
7. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, सूचना निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ ।
8. प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, बहराइच।
9. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, लखनऊ।
10. पुलिस अधीक्षक, बहराइच।
11. समस्त उपजिलाधिकारी, जनपद–बहराइच।
12. खान अधिकारी, बहराइच।
13. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बहराइच को जिले के वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
14. जिला सूचना अधिकारी, बहराइच को प्रचार–प्रसार हेतु।
15. नाजिर कलेक्ट्रेट को सूचना बोर्ड पर चस्पा हेतु।
16. सूचना बोर्ड पर चस्पा हेतु।

19/11/24

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0),
बहराइच।

प्रारूप-2

खनन अनुज्ञा-पत्र हेतु ई-निविदा प्रपत्र

महत्वपूर्ण-किसी प्रकार की कटिंग/ओवरराइटिंग पर ई-निविदा निरस्त की जा सकती है।

1.	विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया हो	
2.	विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक	
3.	निविदाकार का नाम	
4.	निविदाकार के पिता का नाम	
5.	स्थायी पता	
6.	वर्तमान पता	
7.	मोबाईल नम्बर	
8.	ई-मेल आईडी	
9.	जिस क्षेत्र की निविदा दी जानी है, उसका विवरण क. उपखनिज का नाम- ख. जनपद का नाम- ग. तहसील का नाम- घ. खनन क्षेत्र का नाम/ ग्राम- ड़. गाटा संख्या/ खण्ड संख्या/ जोन संख्या- च. क्षेत्रफल(एकड़ में)-	
10.	आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र संख्या (आधार कार्ड की स्कैन कापी ई-टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	
11.	पैन कार्ड नम्बर (पैन कार्ड की स्कैन्ड कापी ई-टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	
12.	निविदाकार द्वारा कोई खनन देय बकाया न होने के संबंध में अदेयता प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र/शपथ पत्र (अदेयता प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र/ शपथ पत्र की स्कैन कापी ई-टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी)	
13.	जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र का संख्या व दिनांक तथा जनपद जहां से जारी किया गया हो। (चरित्र प्रमाण पत्र की स्कैन्ड कापी ई-टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	
14.	कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN संख्या (DIN की स्कैन्ड कापी ई-टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	
15.	क्षेत्र में निर्धारित/आंकलित मात्रा को नियमावली के अनुसूची एक में उपखनिज के लिए प्रचलित रायल्टी दर के गुणाक का 75 प्रतिशत (अर्नेस्ट मनी) का ड्राफ्ट धनराशि व ड्राफ्ट का विवरण (बैंक ड्राफ्ट की स्कैन्ड कापी ई-टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	ड्राफ्ट धनराशि ----- बैंक का नाम व शाखा ----- ड्राफ्ट का नम्बर -----

उपरोक्त उल्लिखित विवरण मेरी जानकारी में सही व सत्य है। कोई सूचना छिपायी नही गयी है तथा मैं निविदा आमंत्रण प्रपत्र की समस्त शर्तो को स्वीकार करता हूँ।

दिनांकः-

निविदादाता के हस्ताक्षर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manish Kumar
Date: 2024.12.07 13:24:20 IST
Location: Uttar Pradesh-UP

Scanned with CamScanner